



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 31.07.2025 को **थाना महाराजगंज पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर गैर इरादतन हत्या की घटना का सफल अनारण करते हुए 05 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 भाला के साथ गिरफ्तार किया गया।**

थाना-महाराजगंज

24 घण्टे के भीतर गैर इरादतन हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 भाला बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.07.25 को वादिनी श्रीमती माली देवी पत्नी मनिराम निषाद सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर आवेदिका के पति मनिराम उम्र 36 वर्ष को ललकार कर गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा भाला राड से मारना पीटना जिससे आवेदिका के पति को भाला से मार दिया गया, जिन्हे इलाज के लिए ले जाते समय मृत्यु हो जाना व तथा बीच बचाव करने पर आवेदक व चन्दन को मारने पीटना व आवेदिका को जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/25 धारा 115(2),191(2),191(3),131,352,351(3),105 बीएनएस बनाम 1.रामबचन निषाद पुत्र राजबली 2.जगदीश निषाद पुत्र रामबचन 3.सतई निषाद पुत्र रामबचन 4.संदीप निषाद पुत्र रामबचन 5.योगेश निषाद पुत्र फौजदार 6.अर्जुन निषाद पुत्र हरिवंश निषाद निवासीगण महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 31.07.2025 को प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1.रामबचन निषाद पुत्र राजबली 2.जगदीश निषाद पुत्र रामबचन 3.सतई निषाद पुत्र रामबचन 4.संदीप निषाद पुत्र रामबचन 5.योगेश निषाद पुत्र फौजदार निवासीगण महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को सहदेवगंज कुड़ही मार्ग से आगे रात्रि समय 01.35 बजे गिरफ्तार किया गया अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि ने बताया कि बिजली की कटिया को लेकर हमारे व मनिराम के बीच कहासुनी हो रही थी जिसमें मनिराम द्वारा गाली दिया जा रहा था इसी बात पर रामबचन निषाद घर से भाला लेकर आये तथा डराने के लिए भाला आगे किये जिससे भाला मनिराम को लग गया जिसे सतई द्वारा मौके पर और घुमाकर निकालने का प्रयास किया जिससे मनिराम को चोट ज्यादा लग गई तथा इलाज के लिए जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी, श्रीमान् जी हम लोगों द्वारा जानबूझकर हत्या नहीं किया गया गलती से चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 212/2025 धारा 115(2),191(2),191(3),131,352,351(3),105 बीएनएस थाना महाराजगंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1.रामबचन निषाद पुत्र राजबली उम्र 58 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
2. जगदीश निषाद पुत्र रामबचन उम्र 42 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
3. सतई निषाद पुत्र रामबचन उम्र 36 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
4. संदीप निषाद पुत्र रामबचन उम्र 23 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
5. योगेश निषाद पुत्र फौजदार उम्र 36 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

01. एक घटना में प्रयुक्त भाला

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण:-

- 1-प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य, मय हमराह थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार यादव , मय हमराह थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 अमित तिवारी, मय हमराह थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़

